फर्द अहकाम

कार्यालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमंद

श्री देवीसिंह पिता श्री अमरसिंह सोलंकी नि. पबराना पोस्टः टीकर वाया चारभुजा रोड, आमेट

– अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, आमेट

– प्रत्यर्थी

किस्म मुकदमा–अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 52/2022**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 13.02.2023 पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार, आमेट से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार, आमेट को वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया । लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार, आमेट द्वारा जरिये पत्रांक आर.टी.आई./2023/04 दिनांक 24.01.2023 से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार अपीलार्थी द्वारा दिनांक 01.09.2021 से 15.05.2022 तक पटवार मण्डल खाखरमाला में पदस्थापित पटवारी का नाम मय पटवार मण्डल मुख्यालय खाखरमाला में कब–कब उपस्थित रहे। दिनांक मय समयानुसार विवरण व कब–कब पटवार हल्का खाखरमाला में फिल्ड में रहे, सूचना चाही जाने से लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार, आमेट द्वारा अपीलार्थी को पत्रांकः रीडर/2022/31 दिनांक 13.06.2022 को जरिये रजिस्टर्ड पत्र से सूचना शुल्क 2820/–रू. जमा कराने हेतु लिखा गया। अपीलार्थी द्वारा निर्धारित शुल्क जमा नहीं करवाया जाने से लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार, आमेट द्वारा निर्धारित राशि जमा कराने हेतु अपीलार्थी को निर्देशित करने हेतु निवेदन किया गया है। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार, आमेट की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार, आमेट की रिपोर्ट अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना का अपीलार्थी द्वारा निर्धारित शुल्क 2820/–रू. जमा नहीं करवाने से अपीलार्थी को निर्देशित किया जाता है कि लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार, आमेट के कार्यालय में नियमानुसार शुल्क जमा करा वांछित सूचना प्राप्त करे। उक्त प्रकरण इसी स्टेज पर निर्णित किया जाता है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी, लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार, आमेट को भिजवायी जावे। **पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।** न्यायालय जिला कलक्टर **लोक सूचना अपीलीय अधिकारी** **(जिला कलक्टर) राजसमंद**	